477

संख्या–3415/X–2–2016–12(44)/2012

प्रेषक,

आर0के0तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 22 सितम्बर, 2016

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान सं0–27 के अन्तर्गत के आयोजनेत्तर पक्ष की योजना "वन बन्दोबस्त" हेतु स्वीकृत आय–व्यय के सापेक्ष अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या नि0 207/3–2(आयोजनेत्तर–वन बन्दो0) दिनांक 30.07.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान सं0–27 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की योजना **"वन बन्दोबस्त"** हेतु आय–व्यय में प्राविधानित धनराशि ₹4.02 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या–2004/X–2–2016–12(44)2012 दिनांक 18.07.2016 द्वारा अवमुक्त ₹1.33 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुए वर्तमान में **₹2.67 लाख (रदो लाख सड़सठ हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1. धनराशि का व्यय वित्त विभाग शासनादेश सं0–847/XXVII(1)/2016 दि. 26.7.16 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें यदि योजना से इतर कार्यों को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।
3. कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।
4. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
6. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय। 2

7. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि तत्काल आहरण वितरण अधिकारियों को अवमुक्त कर दी जाय ।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
9. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–638/XXX–1–12(25) 2011 दि0 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अद्यवधिक किया जायेगा।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–27 के आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्षक 2406–वानिकी तथा वन्य जीवन, 01–वानिकी, 101–वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण, 04–वन बन्दोबस्त, 42–अन्य व्यय के नामे डाला जाएगा। कम्प्युटराईज्ड अलोटमैन्ट आई0डी0 संख्या– S1609270348 दिनांक 22 सितम्बर 2016 संलग्न है।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड के शासनादेश सं0–847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26.07.16 के अनुपालन में जारी किये जा रहे है ।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या–3415/X–2–2016–12(44)/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल हेतु

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - **3415/X-2-2016-12(44)2012**

अनुदान संख्या - **027**

अलोटमेंट आई डी - **S1609270348**

आवंटन पत्र दिनांक -22-Sep-2016

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक

2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन

101 - वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण

04 - वन बन्दोबस्त

00 - वन बन्दोबस्त

01 - वानिकी

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	133000	267000	400000
	133000	**267000**	**400000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 267000